

प्रिय,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी
सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा कोम-2 संयुक्त केन्द्र,
प्रति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक : एनओसी/

/2012-13 दिनांक 21/12/2012

विषय:- बीओएनएस स्कूल कुरसातो वाराणसी को सीओएसओ नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता।

महोदय,

उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सीओएसओ नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सीसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/केसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इम्प्रूवमेंट स्कूल सर्टिफिकेट इक्वायलिटेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिष्टाचार कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवाविशुद्धि का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा।

हामनशर्मा सिंह

Manager
B. N. S. School
Kursato, Chaukhandi
Varanasi

PRINCIPAL
B.N.S. SCHOOL KURSATO
CHAUKHANDI RAILWAY STATION
VARANASI

9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(अखिलेश पाण्डेय)
सचिव, मण्डलीय समिति/
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पू०सं०/एनओसी/

3807-93

/2012-13 तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3. शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी।
5. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
6. प्रबन्धक, बीओएनएस स्कूल कुरसातो वाराणसी।
7. गार्ड फाइल हेतु।

(अखिलेश पाण्डेय)
सचिव, मण्डलीय समिति/
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

हामनशर्मा सिंह

Manager
B. N. S. School
Kursato, Chaukhandi
Varanasi

PRINCIPAL
B.N.S. SCHOOL KURSATO
CHAUKHANDI RAILWAY STATION
VARANASI